समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

निग/356— II-15

शिब्बू बल्द शिवलाल गौड़
निवासी ग्राम बदौआ
तह. व जिला सागर (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. .... को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत् धारा—50 म.प्र.भू—राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर म०प्र० के अपील प्रकरण क्रमॉंक 595/अ—6—अ/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 14—09—2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः—

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक ने माननीय अपर कलेक्टर महोदय, सागर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आवेदक की पैत्रिक भूमि शासकीय दर्ज हो जाने से शासन का नाम काटा जाकर आवेदक के नाम दर्ज किया जावे एवं इस संबंध में आवेदक ने अपने आवेदन में यह प्रार्थना कि थी कि आवेदक ग्राम बदौआ का निवासी है, जाति का गौड़ है एवं अनपढ़ है। आवेदक की बड़ी मॉ वारी बहू बेवा राजा गोड निवासी बदौआ के नाम से राजस्व अभिलेख में मौजा बदौआ, में ख.नं. 61, 64, 83, 149 कुल रकवा 4.86 हे0 दर्ज थी जिसका नया नं. 106, 116, 226, बनाये गए है रीनंबरिंग पर्ची संलग्न है, उक्त भूमि हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि दर्ज कर दी गई है उक्त भूमि पर आवेदक कई वर्षो से काश्तकारी कर निरंतर काबिज चला आ रहा है एवं अपने परिवार की जीविका चलाता आ रहा है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन, मौखिक साक्ष्य, एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए आवेदक को अपना संपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ना देते हुए, आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा किए जाने से सबल आधारों पर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, जब आवेदक नाबालिक था मृतिका बारी बहू ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि वसीयतनामा दिनांक 19.04.1978 को दी थी और मृतिका की मृत्यु 13.08.89 को हो चुकी थी है, और मृतिका लाऔलाद थी एवं पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी जिसके कारण पटवारी द्वारा दाखिल खरिज कर शासन कर नाम उक्त भूमि पर दर्ज

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3560/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-11-15	1. मैनें प्रकरण का आवलोकन किया एंव आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 595 अ–6–अ वर्ष 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 14/09/15 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्के के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया विवादित भूमि बारी बहू वेबा रजुआ गौढ़ के भूमि स्वामित्व की भूमि थी जिसका वसीयतनामा आवेदक के पक्ष में किया गया है जिसके तहत आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरण किए जाने का निवेदन किया था। अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आ. दि.02.07.14 को प्रकरण में मृतक भूमि स्वामी बारी बहू वेबा रजुआ गौढ़ की भूमि को निष्पादित बसीयतनामा के आधार पर 33 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किए जाने से निरस्त किया है जबकि प्रकरण में अपर तहसीलदार सुरखी के प्रतिवेदन दि.15.04.13 में विस्तृत व्याख्या करते हुए वसीयतकर्ता के देवर के लड़के शिव्वू का कब्जा होना मान्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दि.02.05.13 के तहत प्रकरण धारा–177(2)म.प्र.भू.रा.सं. के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करने की शक्तियां तहसीलदार को प्रदत्त होने से प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए है। जिसका पालन तहसीलदार द्वारा किया जाना नहीं पाया जाता है। 6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा यह निगरानी अंशतः स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.15 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.14 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे भू.रा.सं. की धारा–177(2) के प्रावधानों अनुसार आवेदक को सनुवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण करें। सदस्य	

[कृ. प. उ.